DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— दैनिक जागरण नई दिल्ली, 19 मई 2022 —DATED—

जन भागीदारी से हो सकता है चमत्कार : कोर्ट

विनीत त्रिपाठी • नई दिल्ली

पेड़ों के संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी का आह्वान करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जनता पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी करे तो चमत्कार हो सकता है। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने इसके साथ ही भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों को पेड़ों के पोषण और संरक्षण में आरडब्ल्यूए और नागरिक समूहों को शामिल करने पर विचार करने को कहा।

याचिकाकर्ता अजय कट की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि इससे सरकारी एजेंसियों के प्रयासों को काफी बढ़ावा मिलेगा और सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखाई देने की संभावना है। पीठ ने

पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा, बगीचे के आसपास टहलने से मिलती है शांति और ताजी हवा

उक्त टिप्पणी तब की जब याचिका पर डीएनडी फ्लाईओवर के किनारे पेड़ लगाने की स्थिति से अवगत कराया गया। यह भी बताया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली सरकार के वन विभाग के समन्वय से एक सर्वेक्षण किया। पीठ को सूचित किया गया कि कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है और अगले कुछ दिनों में सात हजार पौधे लगाने के लिए काम शुरू होगा। यह भी बताया गया कि हजारों नर्सरी डीडीए के प्रबंधन वाली वन भूमि या हरी भरी भूमि के अंदर है।

इस पर पीठ ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नर्सरियों को जब्त करने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि बगीचे के आसपास टहलने से शांति और ताजी हवा मिलती है। यदि भूमि कायाकल्प गतिविधि को सही तरीके से करने का प्रयास किया जाता है, तो वन भूमि हरी होगी। पीठ ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में 864 हेक्टेयर भूमि दिल्ली सरकार को हरित रूप में बनाए रखने के लिए सौंपी थी। पीठ ने इसके साथ ही निदेशक (बागवानी) डीडीए, उपायुक्त उत्तरी दिल्ली नगर निगम और संबंधित उप वन संरक्षक को आपस में समन्वय स्थापित करके काम करने निर्देश दिया। मामले में आगे की सुनवाई 19 मई को होगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग पालिसी को रफ्तार, बनेंगे किसान समूह

- डीडीए को पालिसी में अब तक मिली 7,275 हेक्टेयर भूमि
- सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 45 दिनों में कर सकते हैं आपत्ति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने लैंड पूलिंग पालिसी 2018 के तहत तीन सेक्टरों में कंसोर्टियम (किसान समूह) गठित करने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस की वैधता जारी होने की तिथि से 90 दिन होगी। डीडीए सभी भू स्वामियों को एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी कर रहा है ताकि नीति के तहत अपनी पूल्ड भूमि की सूची के संदर्भ में अगर कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज करवा सकें। सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 45 दिनों के भीतर पोर्टल पर अनुरोध (लैंड पूलिंग) को अपना आपत्ति आवेदन दे सकते हैं। भू स्वामियों की सूची https.www.dda.gov.in/notices पर देखी जा सकती है।

लैंड पूलिंग पालिसी में अब तक डीडीए को 7,275 हेक्टेयर भूमि मिल चुकी है। इसीलिए जोन एन में सेक्टर 10-ए और जोन पी-2 में सेक्टर 2, 3 के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। डीडीए ने विशेष पोर्टल भी बनाया है जिसके जरिये भू स्वामी अपने दस्तावेज अथवा आवेदन संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं। योजना में जोन जे, के-1, एल, एन, पी-1 और पी-2 में आने वाले 104 गांव शामिल हैं। यह पूरा क्षेत्र 129 सेक्टरों में विभाजित है।

सेक्टर नक्शा योजना के अनुसार उत्तरी दिल्ली में यमुना नदी के साथ स्थित जोन पी-2 में सेक्टर 2 उन सेक्टरों में से एक है जिसके लिए यह अंतरिम सूचना जारी की है। इस सेक्टर में लैंड पूलिंग पालिसी के अंतर्गत लगभग 140 हेक्टेयर विकास योग्य भूमि शामिल है।

रिज क्षेत्र में लगे प्रतिबंध की हो समीक्षा

- दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र
- रिज क्षेत्र की कई परियोजनाओं पर वन विभाग ने लगा रखा है प्रतिबंध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उनसे राजधानी के रिज क्षेत्र में विकास कार्यों पर वन विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा करने का आग्रह किया है।

वन विभाग के अनुसार रिज क्षेत्र वह हिस्सा है 'जिसमें रिज जैसी विशेषताएं हैं, लेकिन अधिसूचित वन नहीं हैं'। यह अरावली विस्तार का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र में किसी भी निर्माण को करने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के माध्यम से दिल्ली के मुख्य सचिव और सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में रिज प्रबंधन बोर्ड (आरएमबी) की अनुमति आवश्यक है।

जानकारी के अनुसार, डीडीए ने रिज क्षेत्र में कई परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के वन विभाग के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि 'मार्फोलाजिकल रिज' शब्द की न तो 'कानूनी पवित्रता है और न ही इसकी कोई वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है।' यह उल्लेख करना उचित है कि इस तरह के 'रूपात्मक रिज' से संबंधित मुद्दों के परिणामस्वरूप डीडीए और सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों के लिए प्रमुख आर्थिक प्रभाव पड़ा है और क्षेत्र के भीतर विकास गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हुई हैं।

'डीडीए पहले ही भूमि के अधिग्रहण पर करोड़ों (रुपये) खर्च कर चुका है, जिसे बाद में इग्नू, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, भारतीय शास्त्री संस्थान, भारतीय संस्थान जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों को आवंटित किया गया है। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर राजधानी के कुछ क्षेत्रों को मार्फोलाजिकल रिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उन्होंने कहा, 'हमने मुख्य सचिव को इस बारे में जानकारी दे दी है। जल्द ही, दस्तावेज वेबसाइट पर डाल देंगे। अगर डीडीए इसे चुनौती देना चाहता है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।' वन विभाग द्वारा 2014 में प्रकाशित 'एन इंट्रोडक्शन टू द डेल्ही रिज' के अनुसार, 2006 के दिल्ली के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किए गए भूतंत्रीय क्षेत्र के आधार पर रिज क्षेत्र का वर्णन किया गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 19 मई 2022
NAME OF NEWSPAPERS— नगर । महिपालपुर । राजापुर । महलगीर । गजराता विहार ----DATED----------

फर्नीचर मार्केट में बुलडोजर, MLA हिरासत में

■ नस, नई दिल्ली : डीडीए ने ईस्ट दिल्ली के खिचड़ीपुर गांव की फर्नीचर मार्केट पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। करीब 3 घंटे में 500 गज में बने मकानों और मार्केट को तोड़ा गया। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार और निगम पार्षद धीरेंद्र कार्रवाई का विरोध करने पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। डीडीए ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया। ▶▶पेज 5

फर्नीचर मार्केट पर चला DDA का बुलडोजर

खिचड़ीपुर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई, विरोध पर विधायक और पार्षद को हिरासत में लिया

■ प्रमुख संवाददाता, खिचड़ीपुर

डीडीए ने बुधवार को खिचड़ीपुर गांव की फर्नीचर मार्केट पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार और निगम पार्षद धीरेंद्र इस कार्रवाई के समर्थकों के साथ मौके पर विरोध करने पहुंच गए। इस पर पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और थाने पहुंचा दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीडीए ने करीब 500 गज में बने मकानों और फर्नीचर मार्केट को तोड़ा। डीडीए की जमीन बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एडवोकेट रवि नागर इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहे हैं।

डीडीए की टीम बुलडोजर सहित भारी पुलिस बल लेकर दोपहर 12 बजे के करीब खिचड़ीपुर गांव पहुंची। टीम को पहले से पता था कि किस हिस्से पर एक्शन लेना है। टीम ने करीब 500 गज में बने कई मकानों को तोड़ दिया गया। इन मकानों के ग्राउंड फ्लोर के हिस्से फर्नीचर वालों को किराए पर दिया हुआ था, जबकि ऊपरी मंजिल को रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मौके पर भारी पुलिस बल होने से किसी ने कार्रवाई के बीच में अड़चन डालने की हिम्मत नहीं की। हालांकि माहौल उस समय गर्म हो गया, जब आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार निगम पार्षद धीरेंद्र के साथ कार्रवाई का विरोध करने पहुंच गए। उन्हें भी यह पता था कि एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है, हालांकि बाद उन्हें मालूम हुआ कि यह कार्रवाई डीडीए की है। इस बीच कार्रवाई में किसी तरह की बाधा पैदा न हो, लिहाजा पुलिस ने दोनों नेताओं को हिरासत में लेकर थाने ले गई। डीडीए की टीम ने दोपहर तीन बजे तक कार्रवाई को अंजाम दिया।

डीडीए ने एक बयान में कहा कि खिचड़ीपुर गांव के खसरा नंबर 310/1-2/3 की करीब 2 बीघा 5 बिस्वा जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा था। हाई कोर्ट के आदेश पर इस जमीन से इन्क्रोचमेंट हटाकर उसे कब्जे में लिया गया है।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 500 गज में बने स्ट्रक्चर को ढहाया गया

एडवोकेट ने कार्रवाई को गैरकानूनी बताया

एडवोकेट रवि नागर ने कहा कि डीडीए ने जमीन के जिस हिस्से पर बने मकान और दुकानों को निशाना बनाया, वह उनकी पुश्तैनी जमीन है। इस जमीन पर डीडीए से उनका कोर्ट केस चल रहा है। किन्हीं कारणों से लोअर कोर्ट से फैसला उनके हक में नहीं आ पाया। इसके बाद उन्होंने नए सिरे से प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के लिए हाई कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है। गुरुवार को कोर्ट में उनके केस की सुनवाई होनी है। एक दिन पहले ही डीडीए ने उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया।

डीडीए की अपील पर जून में होगी सुनवाई

कोशिशों के बावजूद रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं करवा पा रहा डीडीए

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

सभी बिल्डरों व सरकारी एजेंसियों को प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर्ड करवाना जरूरी

रेरा डीडीए के गले की हड्डी बनता जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद डीडीए का कोई प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं हो पाया है। अधिकारियों के अनुसार, रेरा में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल है। सारी प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश डीडीए कर रहा है। प्रक्रिया चल रही है और तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि रेरा में हाउसिंग स्कीम को रजिस्टर्ड करवाया जाए।

रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी), दिल्ली में अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करवाने की प्रक्रिया डीडीए ने 2019 में ही शुरू की थी। इसके बाद से अब तक डीडीए चार से पांच हाउसिंग स्कीमें लॉन्च कर चुका है। लेकिन इनमें से कोई हाउसिंग स्कीम रेरा में रजिस्टर्ड नहीं हो सकी। नियमों के अनुसार, सभी बिल्डरों और सरकारी एजेंसियों को अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल रेरा को देनी होती है और उनमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है।

> 15 के करीब प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए पेंडिंग लिस्ट में

मौजूदा समय में डीडीए के 15 के करीब प्रोजेक्ट रेरा के पास रजिस्ट्रेशन के लिए पेंडिंग हैं। इन प्रोजेक्ट की जानकारी के अभाव में रेरा ने कुछ जानकारियां डीडीए से मांगी थी। प्रोजेक्ट इसी वजह से अटके हैं। रेरा ने 20 दिसंबर 2021 में हुई सुनवाई में डीडीए के 14 प्रोजेक्ट मामले के आवेदन को रिजेक्ट भी कर दिया था। इस आवेदन में डीडीए की तरफ से तर्क दिया गया था कि डीडीए सरकारी एजेंसी है और डीडीए के प्रोजेक्ट लगभग पूरे हो चुके हैं। अलॉटी मिल चुके हैं और उन्हें अलॉटमेंट्स भी दे दिए गए हैं। डीडीए ने यह भी तर्क दिया था कि क्योंकि उसने अपने कॉमन एरिया को सौंप दिए हैं इसलिए अब डीडीए को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं।

लेकिन रेरा ने इस अपील को खारिज कर दिया। रेरा की तरफ से तर्क दिया गया कि जिनको अभी कंप्लीशन एंड ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डीडीए को साफ कहा जा चुका है कि रेरा में रजिस्ट्रेशन से छूट देने का कोई प्रोविजन नहीं है। इतना ही नहीं, इन प्रोजेक्ट में जो पैसा लगता है वह पब्लिक का ही है। इसलिए इन प्रोजेक्ट को पारदर्शी तरीके से समय पर पूरा किया जाना चाहिए। इन्हीं आधारों पर डीडीए की अपील को खारिज किया गया था। जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ डीडीए रियल एस्टेट अपील ट्रिब्यूनल में चला गया। अब इस मामले की सुनवाई 25 जून को होनी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सरकारी एजेंसियां अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड नहीं करवा रही हैं। एनबीसीसी ने अपने दो प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड करवाया है। दोनों रजिस्ट्रेशन मार्च 2023 तक के लिए मान्य हैं। यह दोनों प्रोजेक्ट नौरोजी नगर कॉलोनी के फेज-1 और फेज-2 के लिए हैं।

क्या कमियां हैं: मिली जानकारी के अनुसार, डीडीए की तरफ से कोर्ट को सभी जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा, कुछ प्रोजेक्ट में अप्रूव्ड प्लान भी शामिल नहीं हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर डीडीए की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। कुछ फाइलों में पैन कार्ड की डिटेल नहीं है। इतना ही नहीं, डीडीए ने 1 मई 2016 से चल रहे प्रोजेक्ट और शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी भी नहीं दी है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

2 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 19 मई, 2022

-------DATED-------

अनिल बैजल ने उपराज्यपाल का पद छोड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: अनिल बैजल ने उपराज्यपाल (एलजी) पद से इस्तीफा दे दिया है। आइएएस अधिकारी रहे बैजल को 31 दिसंबर, 2016 को उस वक्त दिल्ली का एलजी बनाया गया था, जब आम आदमी पार्टी (आप) सरकार व केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान चरम पर थी और दिल्ली की नौकरशाही पर अधिकारों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था।

कमोबेश ऐसी ही परिस्थिति में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 28 दिसंबर, 2016 को उनका इस्तीफा स्वीकार किया था। इसके तीसरे दिन ही बैजल दिल्ली के 20वें उपराज्यपाल बनाए गए थे।

बैजल 1969 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने प्रसार भारती और इंडियन एयरलाइंस जैसी सरकारी कंपनियों के शीर्ष पदों पर भी काम किया है। वर्ष 2004 में केंद्र में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी, तब बैजल केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव थे।

अनिल बैजल (फाइल फोटो) ● प्रेट

- व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति कोविन्द को भेजा इस्तीफा
- दिल्ली के 20वें एलजी के तौर पर उनका कार्यकाल खींचतान भरा रहा

दिल्ली के एलजी के तौर पर अपने पूर्ववर्ती नजीब जंग के मुकाबले बैजल का कार्यकाल लंबा रहा है। जंग ने करीब साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल के बाद 22 दिसंबर, 2016 को इस्तीफा दिया था, जबकि बैजल का कार्यकाल करीब पांच साल साढ़े चार महीने का रहा है। नजीब जंग का कार्यकाल आप सरकार के साथ भारी खींचतान के बीच बीता था, करीब-करीब यही हाल बैजल के कार्यकाल का भी रहा। मालूम हो कि उपराज्यपाल के तौर पर बैजल के कार्यकाल के पांच साल 31 दिसंबर, 2021 को ही पूरे हो गए थे।

संबंधित खबर >> पेज 3

मतभेदों के बाद भी नहीं थमने दी विकास की रफ्तार

पूरे कार्यकाल के दौरान उपराज्यपाल अनिल बैजल का दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से टकराव चलता रहा

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल का लगभग पांच साल साढ़े चार माह लंबा कार्यकाल खासा खट्टा-मीठा रहा। आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के

अनिल बैजल ●

नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच संबंध चूंकि कटु हैं, तो केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच भी अक्सर अनबन होती रहती थी।

पूरे कार्यकाल के दौरान ऐसे कई उदाहरण सामने आए, जब बैजल का आप सरकार के साथ टकराव देखा गया। उनके और निर्वाचित आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच सबसे बड़ा गतिरोध तब हुआ, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल ने उन पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं से संबंधित फाइलें रोकने का आरोप लगाकर एलजी आवास पर धरना दिया। एलजी ने आप सरकार से घर तक राशन पहुंचाने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजने के लिए कहा था, जिसका आप सरकार ने विरोध किया था। एलजी और आप सरकार के बीच वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों के लिए काउंसिल की नियुक्ति और अगले वर्ष कृषि कानूनों के विरोध के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर भी मतभेद थे। निर्वाचित सरकार ने उन पर कोरोना महामारी के दौरान नौकरशाही के साथ 'समानांतर' बैठकें करने का भी आरोप लगाया।

चूंकि केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ दिल्ली में राज्य विधानसभा भी है, ऐसे में इसका चरित्र भी अनूठा है। इसलिए एलजी के माध्यम से यहां की सरकार निर्वाचित राज्य सरकार और केंद्र, दोनों द्वारा संचालित होती है। ऐसे में एलजी को भूमि, पुलिस, कानून और व्यवस्था और सेवाओं से संबंधित मामलों पर विशेष नियंत्रण प्राप्त है। वर्ष 2021 में, केंद्र ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम पास किया, जिसने प्रभावी रूप से एलजी को दिल्ली सरकार का समग्र प्रमुख बना दिया।

हालांकि, बैजल के कार्यकाल में उनके नेतृत्व में कुछ प्रमुख विकास परियोजनाओं को स्वीकृत और कार्यान्वित भी किया गया। उन्हें संभवतः दिल्ली के दो मास्टर प्लान-एमपीडी 2021 और एमपीडी 2041 को आकार देने और संचालित करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। विभिन्न क्षमताओं में शहर के प्रशासन के साथ सीधे व्यवहार करते हुए बैजल ने दिल्ली के सामने आने वाले मुद्दों की गहरी समझ हासिल की, जो विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा में परिलक्षित भी हुआ।

बैजल शहर को अच्छी तरह से जानते थे और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग) सेंटर (यूटीटीआईपीईसी) के जरिये राष्ट्रीय राजधानी को और अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर कई कदम उठाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली-2041 के लिए मास्टर प्लान, जिसे जल्द अधिसूचित किया जाना है, को सक्षम योजना के रूप में बनाया गया है, जो एक नियामक मैनुअल होने के बजाय पर्यावरणीय स्थिरता, गुणवत्ता, रहने की क्षमता और आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन शक्ति पर केंद्रित है। जबकि, डीडीए उपाध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में यमुना नदी के पास की जगह को पहले जैव विविधता पार्कों में से एक के लिए निर्धारित किया गया था। एलजी के रूप में उनके कार्यकाल में दिल्ली में सात ऐसे पार्क थे। इसके अलावा यमुना रिवरफ्रंट के बड़े हिस्से को बहाली और कायाकल्प के लिए लिया गया था। बैजल ने पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर जोर देने के साथ कई डी-कंजेशन परियोजनाएं शुरू करने में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप भी किया। इन पहलों में आइएनए मार्केट, आइटीओ जंक्शन, सौंदर्यीकरण आइआइटी दिल्ली, कमला नगर, लाजपत नगर आदि को 'वॉक प्लान' तैयार करना शामिल था। मेट्रो स्टेशनों के बाहर मल्टी-मॉडल एकीकरण को कुशलतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को व्यापक योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे अन्य सभी हितधारकों को लागू करना था। डीडीए की ई-गवर्नेंस परियोजनाएं, लैंड पूलिंग पालिसी, डायनामिक पार्किंग मानदंड जैसी पहलों पर उन्होंने तेजी से ध्यान दिया। इतना ही नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के नाम पर 16 डीडीए पार्कों का नामकरण आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में करने का श्रेय बैजल को भी जाता है।

इन मुद्दों पर होती रही खींचतान

- 31 दिसंबर 2016: अनिल बैजल ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली थी।
- दिसंबर 2017: राज्यसभा के एक सदस्य ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ 'बाहरी' जैसा व्यवहार किया गया।
- फरवरी 2018: तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर आप नेताओं ने सीएम आवास पर कथित तौर पर हमला किया।
- मार्च 2018: बैजल ने दिल्ली सरकार से घर तक राशन पहुंचाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने को कहा। केजरीवाल का पलटवार कि कानून के मुताबिक संदर्भ जरूरी, 'क्षुद्र राजनीति' पर प्रस्ताव खारिज।
- जून 2018: आइएएस अधिकारियों की 'हड़ताल' के विरोध में सीएम उपराज्यपाल के कार्यालय में धरने पर बैठे। बाद में पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने और 'आंदोलन' खत्म करने का अनुरोध किया था।
- जुलाई 2018: पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मंत्रिमंडल की 'सहायता और सलाह' से बंधे हैं और दोनों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करने की जरूरत है।
- सितंबर 2018: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली का प्रशासन केवल दिल्ली सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है और इस बात पर जोर दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण इसकी असाधारण स्थिति है।
- फरवरी 2019: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने नियंत्रण सेवाओं के मुद्दे पर विभाजित फैसला सुनाया। मतभेद के कारण, दोनों न्यायमूर्तियों ने भारत के प्रधान न्यायाधीश से सिफारिश की थी कि इस मुद्दे को तय करने के लिए तीन न्यायमूर्तियों की पीठ का गठन किया जाए।
- जुलाई 2020: दिल्ली सरकार ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों में विशेष अभियोजकों की नियुक्ति के दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उपराज्यपाल ने सरकार के फैसले को पलट दिया और अपने गृह विभाग को दिल्ली पुलिस के वकीलों के प्रस्तावित पैनल को मंजूरी देने का निर्देश दिया था।
- अप्रैल 2021: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, जो निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल को प्राथमिकता देता है, केंद्र द्वारा अधिसूचना के बाद लागू हुआ।
- जुलाई 2021: दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल ने किसानों के आंदोलन और लाल किले पर हुई हिंसा से संबंधित मामलों पर कोर्ट में बहस करने के लिए अपनी पसंद के वकीलों का एक पैनल नियुक्त करने के दिल्ली कैबिनेट के फैसले को पलट दिया था।
- अगस्त 2021: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि एलजी ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन की कथित कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए पैनल गठित करने के दिल्ली सरकार के अनुरोध को खारिज किया था।
- अप्रैल 2022: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम के पारित होने का बचाव करते हुए कहा था कि दिल्ली के कामकाज में व्यवधान देखा गया, क्योंकि सरकार की ओर से एलजी को अक्सर राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित फैसलों के बारे में 'अंधेरे में रखा जाता है'।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान नई दिल्ली, गुरुवार, 19 मई 2022 DATED

विरोध कर रहे कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया, साढ़े चार घंटे बाद छोड़ा

खिचड़ीपुर में भारी हंगामे के बीच चला बुलडोजर

कार्रवाई

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर गांव में बुधवार को अवैध निर्माण पर डीडीए का बुलडोजर चला। इस दौरान हंगामे के बीच, आप विधायक कुलदीप कुमार ने समर्थकों के साथ कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूमि विभाग के अधिकारियों का दस्ता पहले कल्याणपुरी थाने पहुंचा और वहां से पुलिस बल लेकर खिचड़ीपुर फर्नीचर मार्केट पहुंचा। डीडीए के अवैध निर्माण गिराओ दस्ते के फर्नीचर मार्केट में पहुंचने पर सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। मार्केट में शोर मच गया कि दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने आ रहा है।

पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों का आवागमन रोका। डीडीए के दस्ते के साथ पहुंचे पुलिस बल ने मार्केट के एक चौक से दूसरे चौक के बीच बैरिकेडिंग करते हुए सड़क और वाहन खड़े कर वाहनों का आवागमन रोक दिया। इस दौरान सड़क पर खड़े रेहड़ी-पटरी वाले वहां से अपना-अपना सामान लेकर चले गए। करीब 11 बजे डीडीए का दस्ता अधिवक्ता रवि नागर की संपत्ति के सामने जाकर रुका और वहां बुलडोजर चलवा दिया।

दोपहर तक कार्रवाई करते हुए डीडीए ने करीब 600 गज में बने दुकान व मकान को ढहा दिया, जबकि ऊपरी मंजिल पर डीडीए के कर्मचारी हथौड़ों से मकान को तोड़ रहे थे।

जमकर हुई नारेबाजी : जब डीडीए अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा था तो इसकी जानकारी मिलने पर आप विधायक कुलदीप अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए मार्केट में पहुंच गए। उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर विरोध दर्ज कराया। वहीं, दूसरी तरफ से भाजपा समर्थक आ गए और उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विधायक को हिरासत में लेकर कल्याणपुरी थाने ले जाया गया है।

दोपहर दो बजे के बाद डीडीए दस्ते ने फिर से अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई शुरू की और ऊपरी हिस्से को शाम तक तोड़ दिया गया। वहीं, करीब साढ़े चार घंटे हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने आप विधायक कुलदीप को छोड़ दिया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से बुधवार को पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर गांव में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने विरोध करने पहुंचे आप विधायक को भी हिरासत में ले लिया। • [illegible]

आप कार्यकर्ताओं का थाने के बाहर विरोध-प्रदर्शन

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। डीडीए की कार्रवाई के दौरान विरोध-प्रदर्शन करने पर पुलिस ने कोंडली विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में लिया। इसके विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने कल्याणपुरी थाने के बाहर जमकर हंगामा किया।

खिचड़ीपुर गांव में डीडीए टीम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की सूचना मिलते ही विधायक कुलदीप कुमार और निगम पार्षद धीरेंद्र कुमार अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। इस दौरान कुलदीप कुमार बुलडोजर के आगे बैठ गए। पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया, मगर वह हटने को तैयार नहीं हुए। पुलिस उन्हें जबरदस्ती हटाने लगी तो कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस दोपहर करीब 12:30 बजे विधायक और निगम पार्षद को हिरासत में लेकर कल्याणपुरी थाने पहुंची।

आप कार्यकर्ता भी थाने पर पहुंच गए और गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं ने पुलिस और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। शाम करीब 5 बजे पुलिस ने विधायक और पार्षद को छोड़ दिया। हालांकि, पुलिस अधिकारियों की तरफ से विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।

> रोहिंग्या, बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही थी। खिचड़ीपुर गांव में कौन रोहिंग्या व बांग्लादेशी है। यहां गांव के गरीब लोग लंबे समय से रह रहे हैं। भाजपा गरीब लोगों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। टीम जब गरीब लोगों का मकान तोड़ने पहुंची तो हमने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने हमें हिरासत में लिया।
>
> – कुलदीप कुमार, विधायक, कोंडली

पीड़ितों ने किया दावा, यह हमारी पुश्तैनी जमीन है

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कल्याणपुरी फर्नीचर मार्केट में डीडीए ने जिन दो मकानों को ढहाने की कार्रवाई की उसे लेकर अधिवक्ता रवि नागर और उनके परिजनों का दावा है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है। डीडीए की कार्रवाई ने उन्हें बेघर कर दिया।

उन्होंने कहा कि जमीन को लेकर गुरुवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले ही डीडीए ने यह कार्रवाई कर दी। मकान और दुकानों को ढहाने के बाद रवि नागर और उनके भाई हर्षित नागर सहित अन्य परिजनों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि यह जमीन उनके परदादा के नाम है। वह करीब 50 साल से अधिक समय से इसी मकान में रह रहे हैं। रवि का आरोप है कि उनके मकान के ठीक सामने करीब 26 बीघा जमीन पर अवैध ढंग से लोगों ने कब्जा कर अस्थायी मकान बना रखे हैं जिसे लेकर उन्होंने डीडीए को शिकायत की थी।

आमने-

डीडीए ने उन पर कोई कार्रवाई न कर उनके मकानों और दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर दी।

स्कूल गिरवी रखने पर चिंता जताई

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने बुधवार को दक्षिण दिल्ली के रायसीना बंगाली स्कूल को गिरवी रखने के लिए सोसाइटी को अनुमति देने के डीडीए के आचरण पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने पूछा कि भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसी ऐसा कैसे कर सकती है। न्यायालय ने डीडीए को इस संबंध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करने और सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 19 मई 2022

तीन सेक्टरों के लिए कंसोर्टियम गठन के अंतरिम नोटिस जारी

लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत सबसे पहले यमुना किनारे बनेंगे फ्लैट

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

उत्तरी दिल्ली में यमुना नदी के साथ स्थित जोन पी-2 में सेक्टर-2 के लिए अंतरिम सूचना जारी की गई है

लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत सबसे पहले यमुना किनारे फ्लैट्स बनेंगे। डीडीए ने इस पॉलिसी के तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तीन सेक्टरों के लिए कंसोर्टियम गठन के लिए अंतरिम नोटिस जारी कर दिए हैं। यह नोटिस अगले 90 दिनों तक वैलिड रहेंगे। इतना ही नहीं डीडीए सभी जमीन मालिकों को एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी कर रहा है। अब जमीन मालिकों को अपनी पूल्ड जमीन की सूची को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो वह इसे डीडीए में दर्ज करवा सकते हैं। सूची में आपत्ति होने पर जमीन मालिक सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 45 दिनों में पोर्टल पर आयुक्त (लैंड पूलिंग) को अपना आवेदन दे सकते हैं। नीति के तहत आगे आने वाले जमीन मालिकों की सूची डीडीए की वेबसाइट पर लैंड पूलिंग नोटिस टैब https://www.dda.gov.in/notices-0 पर देखी जा सकती है।

70 फीसदी पूल्ड भूमि नहीं मिलने पर रद्द होगा नोटिस : डीडीए के अनुसार जोन एन में सेक्टर 10-ए और जोन पी-2 में सेक्टर 2, 3 हैं। कंसोर्टियम के गठन के लिए अंतरिम नोटिस इस शर्त के साथ जारी किया गया है कि शेष अन-पूल्ड जमीन मालिकों को एक साथ आना होगा और एक कार्यान्वयन योजना के साथ एक इकाई के रूप में भूमि का निर्माण करना होगा। इसके लिए उन्हें 90 दिनों का समय मिलेगा। यदि जमीन मालिक इस दौरान कंसोर्टियम बनाने में विफल होते हैं या उस विशेष सेक्टर में 70 प्रतिशत पूल्ड भूमि प्राप्त नहीं कर पाते तो ऐसे नोटिस को रद्द समझा जाएगा।

इसके तहत उत्तरी दिल्ली में यमुना नदी के साथ स्थित जोन पी-2 में सेक्टर-2 के लिए अंतरिम सूचना जारी की गई है। इस सेक्टर में लैंड पॉलिसी के तहत लगभग 140 हेक्टेयर विकास योग्य भूमि शामिल है। इसमें से 121 हेक्टेयर भूमि के मालिकों ने हिस्सेदारी में रुचि दिखाई है। इनके भूमि रिकॉर्ड सत्यापित करते समय देखा गया कि उनकी पूल की गई भूमि सटी हुई नहीं है। तिगीपुर, अकबरपुर माजरा, सुंगरपुर, बख्तावरपुर गांव इस सेक्टर का निर्माण करते हैं।

इसी तरह जोन पी-2 के सेक्टर-3 में उत्तरी दिल्ली में यमुना के साथ सेक्टर-2 से सटा हुआ है। सेक्टर-3 में लगभग 210 हेक्टेयर विकास योग्य भूमि शामिल है। जिसमें से 156 हेक्टेयर भूमि वाले भू-स्वामी विकास के लिए आगे आए हैं। संपत्ति के पांच भाग में तिगीपुर, फतेहपुर जट, मोहम्मदपुर, रमजानपुर, बख्तावरपुर इस सेक्टर का निर्माण करते हैं।

जोन एन में सेक्टर 10-ए एक अन्य विचाराधीन सेक्टर है। उत्तरी पश्चिम दिल्ली के बवाना के नजदीक है। सेक्टर 10-ए में 124 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें से 117 हेक्टेयर लैंड पॉलिसी के अंतर्गत विकसित करने योग्य है और 96 हेक्टेयर को पूल किया गया है। लैंड पूलिंग क्षेत्र में सभी सेक्टरों के लिए भू-स्वामियों से प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति के अनुरूप पूल की गई भूमि को दर्शाने वाले नक्शे के विवरण डीडीए की वेबसाइट https://www.dda.gov.in/reference-maps पर देखे जा सकते हैं।

कवायद

- अंतरिम नोटिस अगले 90 दिनों तक के लिए रहेंगे वैलिड
- डीडीए सभी जमीन मालिकों को भी एक नोटिस दे रहा है
- पूल्ड जमीन की लिस्ट पर आपत्ति डीडीए में दर्ज करा सकते हैं

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS: नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 19 मई 2022 ...TED

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रही LG बैजल की नजर

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली का उपराज्यपाल रहते हुए अनिल बैजल कई मोर्चों पर सक्रिय रहे। हाल ही में दिल्ली के मास्टर प्लान को फाइनल करने में भी उनकी अहम भूमिका रही। दिल्ली में डीडीए उपाध्यक्ष से लेकर शहरी विकास और गृह सचिव तक की जिम्मेदारी संभाल चुके बैजल दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार सक्रिय रहे। उपराज्यपाल का पद संभालने के बाद उन्होंने ही सबसे पहले दिल्ली के रानी झांसी रोड पर लंबे वक्त से निर्माणाधीन फ्लाईओवर की राह में आ रही बाधाओं को दूर करके उसका निर्माण पूरा कराया। इसी तरह रैपिड रेल और कड़कड़डूमा के टीओडी परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में उनकी अहम भूमिका थी।

दिल्ली के मास्टर प्लान को फाइनल करने में भी अहम भूमिका निभाई

हालांकि उनका दिल्ली सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर टकराव भी हुआ। हाल ही में जब दिल्ली का मास्टर प्लान और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान तैयार हो रहा था तो बैजल खुद उसमें दिलचस्पी ले रहे थे। यही वजह थी कि रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान से जुड़ी केंद्र और दिल्ली के सभी विभागों की मंजूरियां बेहद कम समय में मिल गईं। इससे पहले मास्टर प्लान 2021 में भी उनकी केंद्रीय अधिकारी के रूप में भूमिका रही थी। इस बार भी 2041 के मास्टर प्लान में उन्होंने कई नए प्रावधान जुड़वाए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में भी पिछले कुछ महीनों में जो बड़े बदलाव नजर आए, उनमें भी बैजल की भूमिका रही। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के मामले में भी उन्होंने रैपिड रेल और मेट्रो के कड़कड़डूमा में टीओडी परियोजनाओं को फाइनल करने के लिए डीडीए और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ नियमित तौर पर बैठकें की। हाल ही में दिल्ली के कुछ रोड कॉरिडोर को जाम से मुक्त बनाने के लिए भी उनकी निगरानी में ट्रैफिक पुलिस कार्य कर रही है।

DDA के नाम से कॉल कर बुजुर्ग से की ठगी

■ विम, रोहिणी : डीडीए के नाम से कॉल करके एक बुजुर्ग के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ठग ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रजिस्ट्री का झांसा देकर 90 हजार रुपये बुजुर्ग के अकाउंट से निकाल लिए। साइबर सेल थाने की पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है।

पुलिस के मुताबिक, कृष्ण अवतार मिश्र श्याम नगर, बुध विहार इलाके में रहते हैं। बीते दिनों इनके पास अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को डीडीए से बताया। वह बोला कि आपने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को लेकर जो विकास सदन में कंप्लेंट की है, उसी के बारे में कॉल किया गया है। साथ ही उसने भरोसा दिया कि आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी। पीड़ित ने भरोसा करके डिटेल भेज दी। फिर उसने मोबाइल पर आया ओटीपी मांगा। पीड़ित ने वह भी बता दिया। उसके कुछ ही देर में अकाउंट से 50 हजार कट गए। पीड़ित ने आरोपी को फोन किया तो उसने कहा कि रुपये अभी रिफंड हो जाएंगे। बताय रिफंड के 20-20 हजार रुपये दो और बार कट गए।

वन विभाग के फैसले से विकास कार्यों में आ रही अड़चन : डीडीए

कहा, मॉर्फोलॉजिकल रिज में कंस्ट्रक्शन पर रोक का करें रिव्यू

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

- डीडीए ने चीफ सेक्रेटरी से की वन विभाग के फैसले की समीक्षा की मांग
- डीडीए जमीन अधिसूचित करने के लिए खर्च कर चुका है करोड़ों रुपये

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर उनसे राजधानी के मॉर्फोलॉजिकल रिज एरिया में विकास कार्यों पर वन विभाग की ओर से लगाई गई रोक की समीक्षा करने की मांग की है। वन विभाग के अनुसार 'मॉर्फोलॉजिकल रिज' रिज क्षेत्र का वह हिस्सा है, जिसमें रिज जैसे विशेषताएं हैं लेकिन वह अधिसूचित वन नहीं है। यह आरावली का एक्सटेंशन है।

मॉर्फोलॉजिकल रिज एरिया में किसी भी तरह के निर्माण के लिए रिज मैनेजमेंट बोर्ड (आरएमबी) की मंजूरी जरूरी है। आरएमबी के हेड दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं। वहीं, डीडीए के अनुसार 'मॉर्फोलॉजिकल रिज' में इस तरह की रोक न तो कानूनी रूप से सही है और न ही वैज्ञानिक रूप से। डीडीए के अनुसार इस रोक से डीडीए के सामने विकास गतिविधियों को जारी रखने में दिक्कतें काफी अधिक बढ़ गई हैं।

इस पत्र में डीडीए ने लिखा है कि डीडीए जमीन अधिसूचित करने के लिए करोड़ों रुपये पहले ही खर्च कर चुका है। वह जमीन विभिन्न सरकारी एजेंसी जैसे इग्नू, नैशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन, दिल्ली पुलिस, अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को अलॉट कर चुका है।

वहीं, वन विभाग के अधिकारी के अनुसार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मिले डेटा के आधार पर राजधानी के कुछ एरिया को 'मॉर्फोलॉजिकल रिज' के तौर पर जाना जाता है। चीफ सेक्रेटरी को इस बारे में जानकारी दी गई है। वहीं जल्द ही इस संदर्भ में वन विभाग की वेबसाइट पर भी सभी डॉक्युमेंट अपलोड किए जाएंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, MAY 19, 2022 ---------------DATED---------------

HC raps DDA for permitting school to take loan against plot

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 18

THE DELHI High Court Wednesday pulled up the Delhi Development Authority for granting permission to the Raisina Bengali School Society for mortgaging the school plot which is a leasehold land allotted only for the purpose of running the school. The court also said it hopes and expects the Delhi government to complete the process of the takeover of the debt-ridden Raisina Bengali School in the next two months.

"It's no answer for DDA to take that the permission to mortgage the property was granted with the condition that the user of the plot could not be changed even... in the eventuality of the mortgage being enforced and the property being sold," said the division bench of acting Chief Justice Vipin Sanghi and Justice Sachin Datta.

The court said the DDA should be equally concerned with the fact that working of the school itself would get disrupted on enforcement of the mortgage, which would jeopardise the future of students. "We therefore direct the DDA to reconsider their policy in this regard and take corrective measures," said the bench.

The court was hearing a public interest litigation related to auctioning of the school building. The Delhi government in April had told a single bench that it has decided to take over the school situated in CR Park and on Wednesday reiterated the submission. The court was also told the government has already initiated steps for audit of the school accounts. "How are you granting permission to schools to mortgage school property? What do you mean by conditional permission? The society is going to swindle the amounts after realising ... This is not a commercial property: it is given for a social cause. The point is if the management wants to monetise the asset, they take the money, they run away with the money and everything is left high and dry. How can this be?" the division bench asked the DDA earlier.

On November 11, 2021, the Debt Recovery Tribunal had ordered that the government-aided school would go for e-auction. The school had defaulted on loan taken from a bank. The auction was set to affect the career of 900 students.

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 19 मई, 2022

दो विधायकों को हिरासत में लेकर छोड़ा

बुलडोजर का विरोध

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: शहर के दो अलग-अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने का विरोध करने पर पुलिस ने आप के दो विधायकों सहीराम पहलवान और कुलदीप कुमार व पार्षद धीरेंद्र कुमार, पूर्व पार्षद आनंद कुमार को हिरासत में लिया। बुलडोजर की कार्रवाई थमने के बाद शाम को दोनों विधायकों और उनके समर्थकों समेत सभी को छोड़ दिया गया।

ओखला फेस-1 में दुकान को अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम का तुगलकाबाद से आप के विधायक सहीराम पहलवान और उनके समर्थकों ने विरोध किया। इसके बाद पुलिस सभी को हिरासत में लेकर कालकाजी थाना ले गई। सहीराम ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के जुर्म में उन्हें पकड़ा गया है। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर को तुगलकाबाद में नहीं चलने दिया जाएगा। महंगाई व बेरोजगारी समेत कई मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा गरीबों के घर तुड़वा रही है।

वहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने खिचड़ीपुर स्थित फ्लैट्स मार्केट में दुकान व मकान ध्वस्त किए। सूचना पर पहुंचे आप के स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार, पार्षद धीरेंद्र कुमार, पूर्व आनंद कुमार ने विरोध किया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने तुरंत तीनों नेताओं को हिरासत में ले लिया। चार घंटे से ज्यादा समय तक चली कार्रवाई के बाद पुलिस ने तीनों को छोड़ दिया। विधायक कुलदीप कुमार का कहना है कि यहां कई दशकों से रह रहे लोगों के मकान तोड़ दिए गए। ये लोग मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं। इन पर गलत कार्रवाई करके बेवजह परेशान किया जा रहा है। हमें भी थाने में बैठाया गया।

खिचड़ीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने पर विधायक कुलदीप कुमार (सफेद कुर्ते में) को हिरासत में लेती पुलिस • सौ. विधायक कार्यालय

ओखला फेस-1 में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध करने पर तुगलकाबाद विधायक सहीराम पहलवान को बस में ले जाते पुलिसकर्मी • सौ. विधायक कार्यालय

दिल्ली सरकार ने मांगी अतिक्रमण विरोधी अभियान की रिपोर्ट

राब्यू, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एक आदेश से राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा शासित नगर निगमों के द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने पत्र भेजकर तीनों नगर निगमों से कहा है कि एक सप्ताह में अभी तक का ब्यौरा दें। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को इस संबंध में कहा कि दिल्ली में शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, मदनपुर खादर, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, मंगोलपुरी, रोहिणी, गोकुलपुरी, लोधी कालोनी, जनकपुरी सहित विभिन्न हिस्सों में तीनों नगर निगमों ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रखा है। इससे आम जनता परेशान है। इन परेशान लोगों के साथ उनकी सरकार खड़ी है। भाजपा के इस अभियान का आम आदमी पार्टी (आप) का विरोध जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपने आवास पर आप विधायकों के साथ बैठक भी की थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- Hindustan Times TED----

DDA razes illegal buildings in east Delhi's Khichripur

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday carried out an anti-encroachment drive in east Delhi's Khichripur village near Kalyanpuri, during which an Aam Aadmi Party (AAP) MLA was detained by the Delhi Police for trying to block the action.

DDA officials said the demolition drive was intended to clear five acres of encroached land. "During the drive, 1.2 acres of land could be cleared. Action was taken against five-six big buildings," said an official, adding that the drive was carried out following a high court order.

Encroachment removal drives, otherwise a routine function, have come under the scanner after the North MCD's controversial demolition drive in Jahangirpuri on April 20, days after communal clashes were reported from the area. Opposition parties blamed the BJP, which rules the three municipal corporations, for allegedly targeting a particular community, an allegation the party and the civic bodies have denied.

Senior DDA officials said they were following a Delhi high court order. "The land has been under encroachment since long and the high court has directed DDA to take possession of the land forthwith," said a senior DDA official, adding that the high court has rejected applications to stay the demolition filed by the property owners.

In an order dated May 6, DDA officials said, the court questioned the DDA for not taking possession of the land since 2019. "The demolition programme on the land under reference was scheduled thrice but couldn't be carried out due to non-availability of sufficient police force," DDA said in a statement.

A senior DDA official further said, "Since the land belongs to DDA, there is no need to give prior notice."

AAP MLA from Kondli, Kuldeep Kumar, who along with supporters staged a protest to stop the drive, was detained by Delhi Police. Addressing the crowd outside the police station, Kumar accused the BJP of demolishing people's homes. "I want to tell the BJP that they have looted the people of Delhi for 15 years... Now they are using bulldozers to demolish people's homes. They have taken action against people who have been living in the village for 50-60 years," said Kumar, in a video posted on Twitter.

Delhi Police spokesperson said, "Kumar was detained for obstructing the drive. He was later released."

Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said, "AAP is misleading people... DDA's demolition drive was carried out in adherence to a court order."

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, गुरुवार, 19 मई 2022

लैंड पूलिंग नीति लागू करने के लिए संघ का गठन होगा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग नीति-2018 के तहत मिली 7275 हेक्टेयर जमीन पर आगे कार्रवाई के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में डीडीए ने तीन सेक्टर्स में लैंड पूलिंग नीति को लागू करने के लिए कंसोर्टियम (संघ) के गठन को लेकर अंतरिम नोटिस जारी किया है।

इसमें जोन एन में सेक्टर 10-ए, जोन पी-2 में सेक्टर 2, 3 को शामिल किया गया है। नोटिस के बाद अगर उस जमीन को लेकर कोई आपत्ति है तो वह नोटिस जारी होने के बाद 45 दिनों के अंदर उस पर अपनी आपत्ति जता सकता है। डीडीए ने इसके लिए एक विशेष पोर्टल भी बनाया है, जिसके जरिए भू-स्वामी अपने दस्तावेज के साथ आवेदन संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

निर्धारित सेक्टर्स के अलावा अन्य भू-स्वामियों (पूल में शामिल नहीं होने वाली संपत्ति) को खुद समूह बनाकर आगे आना होगा। उसके लिए उन्हें 90 दिन की अवधि मिलेगी। यदि भू-स्वामी कंसोर्टियम बनाने में विफल रहते हैं या उस विशेष सेक्टर में 70 फीसदी पूल की गई भूमि प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसे नोटिस को स्वतः रद्द मान लिया जाएगा। डीडीए जिन तीन सेक्टर का संघ बना रही है उसमें 10-ए में 124 हेक्टेयर में 117 हेक्टेयर क्षेत्र पॉलिसी के अंतर्गत विकसित करने योग्य है।

भूमि प्राधिकरण की, महज अवैध कब्जा हटाया : डीडीए

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कार्रवाई के दौरान मौजूद डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण की है। उसे खाली कराने के आदेश अदालत की तरफ से जारी किए गए थे।

सामने

अफसरों ने कहा कि आदेशों का पालन करते हुए सरकारी जमीन पर बने दो अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया। डीडीए अधिकारियों का कहना है कि खिचड़ीपुर गांव में डीडीए की जमीन को खाली कराने के लिए पहले भी दो बार पुलिस बल मांगा गया था। लेकिन उस समय पुलिस बल नहीं मिलने के कारण वहां कार्रवाई नहीं की जा सकी थी।

बुधवार को तीसरी बार कार्रवाई के लिए पुलिस बल मांगा गया था और इस बार वह कार्रवाई हो सकी। कार्रवाई के दौरान डीडीए दो बीघा जमीन से अवैध कब्जे हटाने में सफल रहा है।

उन्होंने बताया कि छह मई को उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण गिराने को लेकर रटे आर्डर को रद्द कर दिया था। उसके बाद जाकर यह कार्रवाई संभव हो सकी।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 19 मई 2022

स्कूल रखेंगे गिरवी, HC ने चिंता जताई

प्रेस, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने साउथ दिल्ली के रायसीना बंगाली स्कूल को गिरवी रखने की सोसायटी को अनुमति देने के डीडीए के फैसले पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने बुधवार को संबंधित अथॉरिटी से पूछा कि वह ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि यह कमर्शल मामला नहीं था और जमीन एक सामाजिक काम के लिए दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि डीडीए को इस तथ्य के बारे में खुद ही सोचना चाहिए कि ऐसा होने से स्कूल का कामकाज बाधित होगा, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। हाई कोर्ट ने डीडीए को इस बारे में अपनी नीति पर फिर से विचार करने और सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट यहां चितरंजन पार्क में सरकारी जमीन पर बने रायसीना बंगाली स्कूल को नीलामी के खिलाफ एनजीओ 'जस्टिस फॉर ऑल' की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह लगभग आठ करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान करने में विफल रहा। एनजीओ का कहना था कि स्कूल को नीलामी से लगभग 900 स्टूडेंट्स और वहां पढ़ाने वाले टीचर्स के साथ अन्य स्टाफ भी प्रभावित होगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, MAY 19, 2022 ----------DATED----------

Baijal resigns as L-G, cites personal reasons

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 18

ANIL BAIJAL, who was appointed as the Delhi Lieutenant Governor in 2016, has sent his resignation to the President of India. Baijal, 76, has resigned for personal reasons, sources said.

The 1969-batch IAS officer's tenure as L-G was 5 years and 5 months. He was earlier the vice-chairperson of the Delhi Development Authority and Union Home Secretary during the Atal Bihari Vajpayee government. He retired in 2006 as Union Urban Development Secretary.

His tenure was marked by regular run-ins with the AAP-led Delhi government. The biggest face-off happened in 2018 when CM Arvind Kejriwal and his cabinet of ministers sat on a dharna in Baijal's office, alleging that IAS officers posted with the state government were not working in tandem with elected officials. He was also at loggerheads with the government over the implementation of the doorstep delivery of services and ration schemes.

While the Delhi government was also locked in battle with Baijal's predecessor Najeeb Jung, Baijal was the L-G for the majority of the seven years that the AAP government has been in power. In 2021, the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 was passed by the Parliament, which effectively made the L-G the overall head of the Delhi government, meaning all files would have to be passed through him.

L-G Anil Baijal and CM Arvind Kejriwal. He has been L-G for the majority of AAP's tenure. Archive

Sources said that while the government was apprehensive that Baijal would try to take control of the government following the amendment being passed, he continued to work in tandem with elected representatives.

The biggest issues arising lately was over the appointment of special public prosecutors in the Delhi riots, anti-CAA protest and Red Fort violence cases, where he cleared the panel put forth by the Delhi Police instead of going with the Delhi government's panel.

"Despite their disagreements over several issues, the Delhi government had a cordial working relationship with him. Baijal being a mild-mannered officer, who had spent a great deal of time in the bureaucracy, handled the fraught relationship between the two wings well, especially during Covid as he headed the Delhi Disaster Management Authority," said a Delhi government official who did not wish to be named.

Delhi, at present, is undergoing an administrative flux, with a new Chief Secretary appointed in April, and a Special Officer for the unified Municipal Corporation of Delhi expected to be appointed soon till the new house is elected.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS * THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, MAY 19, 2022 -------DATED-------

Baijal's term was marked by face-offs with AAP govt

Atul Mathur & Sidhartha Roy | TNN

New Delhi: Anil Baijal, who quit as Delhi LG on Wednesday, was appointed on December 28, 2016. It was a time when the relationship between the AAP government in Delhi and the BJP-led central government was bitter and there were frequent confrontations between the Arvind Kejriwal dispensation and the LG office.

During his tenure, there were several instances when Baijal was at loggerheads with the AAP government. The big standoff happened when Kejriwal and his council of ministers accused him of sitting on the files related to various developmental projects, including installation of CCTV cameras and doorstep delivery of services, and staged a sit-in protest inside his office in June 2018. The LG had also asked the AAP government to refer the ration proposal to the Centre, which led to protests by the elected dispensation.

Another face-off was over the appointment of counsel for the cases related to the 2020 northeast Delhi riots and the violence at Red Fort during the farmers' protest in 2021. The AAP government had also accused him of holding "parallel" meetings with bureaucrats during Covid-19.

Since Delhi has a unique character of being a Union territory with an assembly, the government is helmed by both those who are elected and the Centre through the LG. The LG then enjoyed exclusive control over matters related to land, police, law and order, and services. In 2021, the Centre got Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act passed by Parliament, which effectively made the LG the overall head of the Delhi government.

POINTS OF TENSION

December 31, 2016 | Anil Baijal takes oath as LG of Delhi

December 2017 | A Rajya Sabha member claims that Delhi CM is being treated like a 'peon'

February 2018 | Then chief secretary Anshu Prakash allegedly assaulted by AAP members at CM house

March 2018 | Baijal asks Delhi govt to refer proposal for doorstep delivery of ration to the Centre. CM Arvind Kejriwal retorts that reference was required according to law, claims proposal rejected over 'petty politics'

File photo

June 2018 | CM sits in protest at LG office against 'strike' by IAS officers. Later, he writes to PM Narendra Modi, requesting intervention

July 2018 | A five-judge constitution bench unanimously holds that LG is bound by 'aid and advice' of Delhi cabinet, both need to work harmoniously

September 2018 | Centre tells Supreme Court that administration of Delhi can't be left only to the city government and emphasised that it has an extraordinary position by virtue of being the national capital

February 2019 | Supreme Court two-judge bench of justices AK Sikri and Ashok Bhushan deliver a split verdict on the issue of control services. Due to the difference of opinion, the two judges recommend to the Chief Justice of India that a three-judge bench be set up to decide the issue

July 2020 | Delhi government rejects proposal of Delhi Police for appointment of special prosecutors in the 2020 Delhi riots cases. LG overturns govt decision, directs its home department to grant approval for Delhi Police's proposed panel

April 2021 | The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2021, which gives primacy to LG over the elected government comes into effect after notification by the Centre

July 2021 | Delhi govt says LG overturned Delhi cabinet's decision to appoint a panel of lawyers of its choice to argue cases related to farmers' agitation and Red Fort violence

August 2021 | Deputy CM Manish Sisodia says LG rejected Delhi govt's request to set up a panel to probe deaths due to alleged oxygen shortage during second wave

April 2022 | Centre defends the passage of the Government of NCT of Delhi (Amendment) Act in the Supreme Court, saying disruptions in the functioning of Delhi have been witnessed as the LG is often 'kept in the dark' regarding decisions. Affidavit filed in response to Delhi govt plea challenging the 2021 Act

Baijal's tenure also saw some major development projects spearheaded by him. He possibly holds the unique distinction of shaping and steering two master plans of Delhi, MPD 2021 and 2041 — the first as vice-chairman of DDA and Union urban development secretary, and the second as LG and chairman of DDA.

While dealing directly with the city's administration in various capacities, Baijal acquired a deep understanding of the issues that Delhi faced, which was reflected in his review of various projects. His tenure as chairman of DDA as well as that of UTTIPEC witnessed many large-scale initiatives aimed at making the capital more inclusive and its development more sustainable.

He insisted that the Master Plan for Delhi 2041, to be notified soon, was made as an enabling plan that focused on environmental sustainability, quality, liveability, and economic and cultural vitality. He also ensured that the document was demystified so that it is easily understood by the common man.

While his tenure as DDA VC saw space near the Yamuna being earmarked for one of the first biodiversity parks, his tenure as LG saw Delhi boasting of seven such parks.

Baijal personally intervened in kicking off many de-congestion projects with emphasis on safety of pedestrians. Among the other initiatives he fast-tracked were e-governance projects of DDA, land pooling policy and dynamic parking norms. The Transit Oriented Development policy took off during his tenure with the first such project coming up at Karkardooma.

The credit for redevelopment of New Delhi Railway Station and renaming of 16 DDA parks after unsung heroes of the freedom struggle also goes to Baijal.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE
19/05/2022

Disagreements, but no discord with govt marks Baijal's tenure

Baijal, who resigned as Delhi's LG on Wednesday, brought stability to tumultuous relationship between the Delhi government and the Raj Bhawan under his predecessor

HT Correspondents
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Anil Baijal, who took over as Delhi LG in 2016 after a long administrative career in various capacities, brought stability to the Raj Niwas' equation with the Delhi government from the tumultuous relationship between the two power centres under the reign of his predecessor Najeeb Jung, despite several disagreements on a range of issues with the Arvind Kejriwal government, several senior officials aware of the developments said.

They said that there were several "periods of calm" between the Delhi government and the LG office compared to almost daily acrimony under Jung. But, Baijal's tenure of over five years and four months was not completely devoid of friction with the Aam Aadmi Party (AAP) government, they added.

From doorstep delivery of services, doorstep delivery of ration to the CCTV project, appointing special public prosecutors and intervention in the AAP government's Covid-19 mitigation strategies, the government and the LG office had a tussle over several issues.

The first major flashpoint between Baijal and the Delhi government emerged over the doorstep delivery of services scheme in December 2017 when the LG said that the proposal had implications for "safety and security of women and senior citizens, possibility of corruption... and adds unnecessary expenditure for the government".

Then, in an unprecedented move the chief minister and his colleagues sat on a nine-day dharna at the LG office, demanding approval for the Delhi government's CCTV project. Baijal also rejected the Delhi government's doorstep delivery of ration project, citing objections raised by the Centre, and cancelled the home isolation programme which later resumed.

However, it was on Baijal's intervention that bureaucrats, who were protesting against the political executive over former chief secretary Anshu Prakash's assault case, resumed work, the officials said pointing out how he often played the peacemaker.

During the Covid-19 pandemic in 2020, Baijal issued an order asking all Covid-19 positive patients to be isolated only in Covid Care Centres and not at home, irrespective of the severity of disease. The decision was later rolled back after Kejriwal and deputy chief minister Manish Sisodia did a series of press conferences criticising the move. During the Delta wave in 2021, the Delhi government passed an order to set up a committee to probe whether people had died due to the shortage of oxygen. The LG rejected the decision, saying a committee set up by the Supreme Court was already looking into the issue.

In the aftermath of the 2020 Delhi riots, Baijal and the Delhi government again locked horns over the appointment of special public prosecutors to represent police. The two appointed their own choice of special prosecutors. The LG maintained that the riots cases were of sensitive nature. Later, during the farmers agitation and the 2021 Republic Day violence during the farmers tractor rally, the lieutenant governor's office proposed appointment of lawyers to represent the police.

Besides the tussles with Delhi government, Baijal pushed several development programmes during his tenure. He encouraged police to ensure online delivery of its different citizen-centric services. Many backed initiatives such as online registration of theft, police clearance certificates, reporting of cyber-crimes, and other services.

As chairman of the Delhi Development Authority (DDA), Baijal took several initiatives for effective implementation of urban policies, notably making Delhi pedestrian-friendly, development of green spaces and decongesting the city.

Baijal, who has served as vice-chairman of DDA, was actively involved in the finalisation of the Master Plan of Delhi-2041. Senior DDA officials said he had instructed officials to ensure that the vision document is simplified so that it is understood by people at large.

As LG, he was also the chairman of the Unified Traffic and Transportation infrastructure (Planning and Engineering) Centre (UTTIPEC), the nodal agency for approving traffic and transportation projects. DDA officials said Baijal always stressed on the seamless integration of various modes of transport and pedestrian-friendly infrastructure.

Some of the projects approved during his tenure include the traffic circulation plan around the New Delhi Railway Station as part of its redevelopment, construction of a 14-long elevated corridor around seven government accommodation projects.

He has also focused on development of biodiversity parks in the city and time-bound redevelopment of Yamuna riverfront redevelopment project.

FROM DOORSTEP DELIVERY OF SERVICES AND RATION TO THE CCTV PROJECT, APPOINTING SPECIAL PUBLIC PROSECUTORS AND INTERVENTION IN THE AAP GOVERNMENT'S COVID-19 MITIGATION STRATEGIES, THE GOVERNMENT AND THE LG OFFICE HAD A TUSSLE OVER SEVERAL ISSUES

An eventful term at Raj Niwas

A seasoned administrator

A 1969-batch IAS officer, Anil Baijal was appointed Delhi LG on December 31, 2016. He also held several important positions

- His tenure ended on December 30, 2021, but he was given a year's extension
- He served as the Union home secretary during the Atal Bihari Vajpayee government
- He headed Prasar Bharti and Indian Airlines
- Baijal was also the secretary, urban development
- He also served as DDA vice-chairperson

Tenure at the Raj Niwas

2018

Feb 23: The then chief secretary Anshu Prakash accused AAP MLAs of physically assaulting him, triggering protests from IAS officers and other Delhi government officials. Baijal convinced the officials to join work

June: CM Kejriwal and his ministers sat on a dharna at the LG office for nine days to seek approval for the CCTV project

2019

Feb: SC bench delivers a split verdict on the issue of who controls services in Delhi

2021

June: Baijal returns file on the doorstep delivery of ration scheme, saying it cannot be implemented due to objections raised by the Central government

Highlights

- Played an active role in Covid-19 management as chairperson of the Delhi Disaster Management Authority (DDMA)
- As chairperson of DDA, Baijal was actively involved in the finalisation of the Master Plan of Delhi-2041, and the walkability policy
- Under his captaincy, the transport body, UTTIPEC, prepared several multi-modal integration plans
- Started initiative to de-congest roads

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, MAY 19, 2022

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

DDA clears encroachment, locals say no notice issued

AAP's Kondli MLA Detained, Freed Later

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday carried out an anti-encroachment drive in east Delhi's Khichripur. AAP MLA from Kondli assembly constituency Kuldeep Kumar was detained for allegedly obstructing the drive.

Kumar later took to social media saying he had been released. "The revolutionary and passionate workers of AAP are not afraid and will not run away from police even in the scorching heat," he tweeted in Hindi.

Residents of the area told reporters that they were not given any prior notice about the anti encroachment drive. Later, DDA in a statement mentioned that the drive was undertaken following direction from Delhi High Court.

DDA said the encroachment removal exercise on khasra number 310 in Khichripur village was scheduled for Wednesday. The land was acquired for DDA and placed at its disposal vide notification under Delhi Development Act, 1957. "The land stands further transferred to the engineering department for development," it added.

"A court case, Hari Ram vs DDA, is pending in the high court. The encroachers have filed multiple applications seeking a stay order against demolition of the encroachment, but the high court has rejected the plea," said DDA.

The authority also said that in a recent order, the court had questioned it for not taking possession of the land since 2019 and directed it to "take over possession forthwith". DDA added that in the order dated May 6, the high court had also imposed a penalty of Rs 50,000 on the petitioner.

"The demolition drive was earlier scheduled thrice, but could not be carried out due to non-availability of sufficient police force. Demolition was again fixed for today, but only partially carried out due to continuous disturbance and protests by the locals. Encroachment on approximately 1.2 acres of land was removed on Wednesday," DDA stated.

Arindya Chattopadhyay

DDA said the land was acquired for it and the drive was undertaken following a direction from Delhi High Court

HC worried over DDA nod to school auction

New Delhi: Delhi High Court on Wednesday expressed concern over Delhi Development Authority's conduct of granting permission to society to mortgage south Delhi's Raisina Bengali School and asked how the land-owning agency could do this as it was not a commercial plot and the land was given for a social cause.

The high court said DDA has to be equally concerned with the fact that the working of the school itself would get disrupted, which would put the future of students studying in the school in jeopardy. It directed the DDA to reconsider its policy in this regard and take corrective measures.

"How are you granting permission to schools to mortgage school property? What do you mean by conditional permission? The society (which manages the school) is going to swindle the amount after realising. How can you even do this? This is not a commercial property, this is given for a social cause" a bench of acting chief justice Vipin Sanghi and justice Sachin Datta said.

The court was hearing a PIL by NGO Justice For All against the auction of Raisina Bengali School in Chittaranjan Park. PTI

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPA[PER] 19 मई • 2022 राष्ट्रीय सहारा DATED

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खिचड़ीपुर में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बुलडोजर को सुरक्षाकर्मी से उलझते स्थानीय नागरिक (बाएं) व अभियान के दौरान विरोध कर रहे आप विधायक कुलदीप कुमार को पकड़ कर ले जाते पुलिसकर्मी। फोटो : [illegible]

खिचड़ीपुर में भारी विरोध के बीच अतिक्रमण ढहाया

नई दिल्ली (एसएनबी)। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित खिचड़ीपुर इलाके में अपनी जमीन मुक्त कराने गए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के दस्ते को भारी विरोध झेलना पड़ा।

हालांकि प्राधिकरण का कहना है कि पर्याप्त पुलिस बल न मिलने एवं स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद डीडीए ने करीब 2 बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवा ली। सूत्रों का कहना है कि खसरा नंबर 310/1-2/2 को लेकर उच्च न्यायालय में विवाद चल रहा है। न्यायालय ने इसी महीने 6 मई को कई लोगों के दावों को खारिज करते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डीडीए का कहना है कि उक्त जमीन फिलहाल इंजीनियरिंग विभाग के अधीन है। दिल्ली विकास प्राधिकरण का दस्ता दोपहर करीब 12 बजे पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की।

आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही आम आदमी पार्टी (आप) के स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार विरोध करने पहुंच गए। अतिक्रमण विरोधी [illegible] कि [illegible] अभियान में बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

पर्याप्त पुलिस बल न मिलने से पूरी नहीं हो सकी कार्रवाई

डीडीए का दो बीघा जमीन मुक्त करवाने का दावा

अभियान में बाधा डालने को लेकर आप विधायक हिरासत में : पुलिस

डीडीए ने भी माना है कि पर्याप्त पुलिस बल न मिलने से अतिक्रमण विरोधी अभियान सफलतापूर्वक नहीं चल सका, लेकिन इसके बाद भी डीडीए ने दो बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवा ली है। पुलिस ने अभियान में शामिल सरकारी एजेंसियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है। जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था को कायम रखना और अभियान के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो यह सुनिश्चित करना है।

उल्लेखनीय है कि पिछले एक महीने से दिल्ली के तीनों नगर निगमों द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, मदनपुर खादर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, रोहिणी, गोकुलपुरी, लोधी कॉलोनी, [illegible], जनकपुरी, हरीनगर और [illegible] सहित तमाम इलाकों में [illegible] को कार्रवाई की जा रही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

19 मई • 2022 राष्ट्रीय सहारा
NAME OF NEWS ---- DATED ----

'आप स्कूल की संपत्ति गिरवी रखने की अनुमति कैसे दे रहे हैं?'

रायसीना बंगाली स्कूल की नीलामी की अनुमति देने पर डीडीए के आचरण पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दक्षिण दिल्ली के रायसीना बंगाली स्कूल को गिरवी रखने के लिए सोसायटी को अनुमति देने के डीडीए के आचरण पर चिंता व्यक्त की और पूछा कि भू-स्वामित्व वाली एजेंसी ऐसा कैसे कर सकती है जबकि जमीन वाणिज्यिक नहीं थी तथा सामाजिक उद्देश्य के लिए दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को इस तथ्य से समान रूप से चिंतित होना चाहिए कि ऐसा करने से स्कूल का कामकाज स्वतः बाधित हो जाएगा जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अदालत ने डीडीए को निर्देश दिया कि वह इस संदर्भ में अपनी नीति पर पुनर्विचार करे और सुधारात्मक कदम उठाए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा, 'आप स्कूलों को स्कूल की संपत्ति गिरवी रखने की अनुमति कैसे दे रहे हैं? सशर्त अनुमति से आपका क्या आशय है? यह एहसास होने कि सोसायटी (जो स्कूल का प्रबंधन करती है) राशि की ठगी करने जा रही है, आप यह कैसे कर सकते हैं? यह एक व्यावसायिक संपत्ति नहीं है, इसे एक सामाजिक उद्देश्य के लिए दिया गया है। यदि प्रबंधन संपत्ति का मुद्रीकरण करना चाहता है, तो वे पैसे लेते हैं और भाग जाते हैं, और सब कुछ - स्कूल और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। यह कैसे हो सकता है?' अदालत यहां चित्तरंजन पार्क में सार्वजनिक भूमि पर बने रायसीना बंगाली स्कूल की नीलामी के खिलाफ गैर सरकारी संगठन 'जस्टिस फॉर ऑल' की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में कहा गया कि लगभग आठ करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान करने में विफल रहने के कारण नीलामी हो रही है और इससे लगभग 900 छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारी प्रभावित होंगे। हाईकोर्ट ने पूर्व में अधिवक्ता खगेश बी झा और शिखा शर्मा बग्गा के माध्यम से दायर याचिका पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पीठ ने बुधवार को कहा कि उसे ऐसे मामले नहीं मिले हैं जहां स्कूल के भूखंडों को पट्टे पर दिया गया है और ऐसी अनुमति देने के लिए डीडीए से सवाल किया है। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने उस स्कूल को लेने का फैसला किया है जो वैसे भी एक सहायता प्राप्त स्कूल था और उसने इस संबंध में वित्तीय संस्थान के साथ बातचीत की है।

उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही सोसायटी के खातों के ऑडिट के लिए कदम उठा चुकी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदालत ने कहा कि उसका विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई प्राथमिक शिकायत को संबोधित किया गया और याचिका का निस्तारण हो गया है और सरकार से दो महीने के भीतर अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने को कहा।

डीडीए ने भू-स्वामियों को जारी किया अंतरिम नोटिस

नई दिल्ली (एसएनबी)। लैंड पूलिंग योजना को रफ्तार देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने भूमि नीति-2018 के तहत तीन सेक्टरों के भू-स्वामियों को अंतरिम नोटिस जारी किया है। नोटिस की वैधता 90 दिन की रखी गई है। प्राधिकरण ने भू-स्वामियों को भी नोटिस भेजा है और आग्रह किया है कि जिन लोगों को इस पर आपत्ति है, वे 45 दिन के भीतर पोर्टल पर आयुक्त (लैंड पूलिंग) के यहां आवेदन कर सकते हैं। खासबात यह है कि यह ये भू-स्वामी हैं, जिनकी जमीन डीडीए की लैंड पूलिंग योजना के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भू-स्वामी किसी कारणवश आपस में समन्वय नहीं बिठा पा रहे हैं।

लैंड पूलिंग योजना

- भू-स्वामियों को आपस में भूमि पूल के लिए दिया गया है 90 दिन का समय
- नोटिस जारी होने के 45 दिन के भीतर भू-स्वामी दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
- डीडीए के पास अब तक आ चुकी है 7,275 हेक्टेयर जमीन

प्राधिकरण का कहना है कि संबंधित भू-स्वामी डीडीए की वेबसाइट पर भी नोटिस और सूची देख सकते हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,275 हेक्टेयर जमीन डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आ चुकी है। डीडीए के मुताबिक यह जमीन जोन एन में सेक्टर-10 ए, जोन पी-2 के सेक्टर-2 एवं 3 में है। दरअसल डीडीए इन भू-स्वामियों को एक और मौका देना चाहता है, जिससे सभी भू-स्वामी आपस में एकत्रित होकर डीडीए की इस योजना में शामिल हो सकें। प्राधिकरण का कहना है कि इसके लिए भू-स्वामियों को 90 दिन का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह भू-स्वामी कुल जमीन का 70 फीसद हिस्सा आपस में पूल्ड नहीं कर पाते हैं, तो यह नोटिस स्वतः ही रद्द माना जाएगा। प्राधिकरण का कहना है कि उपरोक्त सेक्टरों में अभी तक डीडीए के पास जो जमीन आई है, उपरोक्त भू-स्वामियों की जमीन भी इससे सटी हुई है। यह जमीन तिगीपुर (पार्ट), अकबरपुर माजरा (पार्ट), सुंगरपुर (पार्ट) एवं बख्तावरपुर (पार्ट) गांव की है।

जोन-पी का सेक्टर-3, उत्तरी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे सेक्टर-2 से सटा हुआ है। सेक्टर-3 के लिए करीब 210 हेक्टेयर जमीन मिल चुकी है। इसमें 156 हेक्टेयर जमीन वाले भू-स्वामी खुद ही डीडीए के पास आ गए हैं। इसका विवरण डीडीए के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। दरअसल डीडीए ने आवासीय क्षेत्र के विस्तार एवं जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया से बचने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी शुरू की है। इसमें 104 गांवों को शामिल किया गया है। डीडीए के मुताबिक इन गावों की जमीन पर 129 सेक्टरों को विकसित करके 80 हजार से एक लाख लोगों को आवास मुहैया कराने की योजना है। 28 फरवरी तक डीडीए के पास कुल 7,275 हेक्टेयर जमीन आ चुकी है।

'मॉर्फोलॉजिकल रिज' क्षेत्र में लगे प्रतिबंधों की समीक्षा हो : डीडीए

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उनसे राजधानी के 'मॉर्फोलॉजिकल रिज' क्षेत्र में विकास कार्यों पर वन विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा करने का आग्रह किया है। वन विभाग के अनुसार 'मॉर्फोलॉजिकल रिज' रिज क्षेत्र का वह हिस्सा है जिसमें रिज जैसी विशेषताएं हैं लेकिन यह अधिसूचित वन नहीं है। यह अरावली के विस्तार का एक भाग है।

'मॉर्फोलॉजिकल रिज' क्षेत्र में किसी भी निर्माण कार्य के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले रिज प्रबंधन बोर्ड (आरएमबी) और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के माध्यम से उच्चतम न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। डीडीए ने 'मॉर्फोलॉजिकल रिज' क्षेत्र में कई परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के वन विभाग के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि 'मॉर्फोलॉजिकल रिज' शब्द की न तो 'कानूनी व्याख्या है और न ही इसकी कोई वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है।'

पत्र में कहा गया है, 'डीडीए पहले ही भूमि के अधिग्रहण पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, जिसे बाद में विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), दिल्ली पुलिस, भारतीय शहरी संस्थान, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को आवंटित किया गया है।' वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर राजधानी के कुछ क्षेत्रों को 'मॉर्फोलॉजिकल रिज' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- 'मॉर्फोलॉजिकल रिज' शब्द की न तो कानूनी व्याख्या है और न ही इसकी कोई वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है : डीडीए
- राजधानी के कुछ क्षेत्रों को 'मॉर्फोलॉजिकल रिज' के रूप में वर्गीकृत किया गया है
- डीडीए इसे चुनौती देना चाहता है तो उसे उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहिए : वन विभाग

उन्होंने कहा, 'हमने मुख्य सचिव को इस बारे में जानकारी दे दी है...जल्द ही, हम सभी दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। अगर डीडीए इसे चुनौती देना चाहता है तो उसे उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहिए।'

एक अधिकारी ने अशोक तंवर बनाम केंद्र सरकार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि 'मॉर्फोलॉजिकल 'रिज' में किसी भी निर्माण को करने के लिए आरएमबी या सीईसी के माध्यम से उच्चतम न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। वन विभाग द्वारा 2014 में प्रकाशित 'दिल्ली रिजः एक परिचय' के अनुसार, 2006 के दिल्ली के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किए गए भूकंपीय क्षेत्र के आधार पर 'मॉर्फोलॉजिकल रिज' का वर्णन किया गया है।

अमर उजाला

डीडीए के आचरण पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई

रायसीना बंगाली स्कूल की नीलामी की अनुमति देने का मामला

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने बुधवार को दक्षिण दिल्ली के रायसीना बंगाली स्कूल को गिरवी रखने के लिए सोसायटी को अनुमति देने के डीडीए के आचरण पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसी ऐसा कैसे कर सकती है क्योंकि यह एक व्यावसायिक संपत्ति नहीं है और जमीन एक सामाजिक कारण के लिए दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को इस तथ्य से समान रूप से चिंतित होना चाहिए कि स्कूल का कामकाज खुद ही बाधित हो जाएगा। इससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अदालत ने डीडीए को इस संबंध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करने और सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने डीडीए से कहा आप स्कूलों की संपत्ति गिरवी रखने की अनुमति कैसे दे रहे हैं? सशर्त अनुमति से आप क्या समझते हैं? स्कूल का प्रबंधन करने वाली सोसायटी के रवैये का एहसास होने के बाद राशि की ठगी करने जा रही है, आप यह भी कैसे कर सकते हैं? यह एक व्यावसायिक संपत्ति नहीं है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक भास्कर

19/05/2022

सरकार का आरोप • बगैर नोटिस, कागज देख घरों, दुकानों पर बुलडोजर चला रहे है

केजरीवाल सरकार ने एमसीडी से मांगी रिपोर्ट, कहा- अब तक का डाटा दें

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर को लेकर दिल्ली सरकार ने निगमों से अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। सरकार ने निगमों को निर्देश दिया है कि तीनों निगम एक अप्रैल से अब तक अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। सरकार की ओर से कहा गया है कि निगम रिपोर्ट में विस्तार से बताएं कि किन इलाकों में क्या कार्रवाई हुई है। उसका पूरा डाटा दिया जाए। किन संपत्तियों को नोटिस जारी किया गया है उसकी रिपोर्ट भी तलब की गई है। बताते चलें कि दिल्ली सरकार निगमों की इस कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध जता रही है। सरकार का आरोप है कि बगैर नोटिस दिए, बिना कागज देखे लोगों के घरों, दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते सोमवार को दिल्ली में बुलडोजर से हो रही कार्रवाई को लेकर अपने विधायकों के साथ बैठक की थी। बैठक में इस पूरी कार्रवाई की निंदा करते हुए विधायकों से इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने को कहा गया था। बुधवार को ऐसी ही एक कार्रवाई को लेकर त्रिलोकपुरी से विधायक कुलदीप कुमार के विरोध के बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि, उक्त कार्रवाई निगम की ओर से नहीं डीडीए की ओर से की गई थी।

सूत्रों की मानें तो सरकार ने तीनों निगमों से अब तक जितनी भी संपत्ति तोड़ी है उनसे संबंधित सभी जानकारी मांगी हैं। उसमें संपत्ति को नोटिस कब जारी किया गया, वह अतिक्रमण कब हुआ, कब तोड़ा गया का ब्योरा पेश करने को कहा है। अब तक तीनों निगमों ने उनके इलाके में कितना अतिक्रमण हटाया है उक्त सभी की रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजने के लिए कहा गया है।

फर्नीचर मार्केट में चला बुलडोजर, विधायक हिरासत में

पूर्वी दिल्ली के गांव खिचड़ीपुर में बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का बुलडोजर चला। इस दौरान अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। डीडीए का अवैध निर्माण गिराओ दस्ता जब खिचड़ीपुर गांव की फर्नीचर मार्केट में पहुंचा तो सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। वहीं, मामले की जानकारी मिलने पर आप विधायक कुलदीप कुमार अपने समर्थकों के साथ मार्केट पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल को बिगड़ता देख पुलिस बल ने विधायक को हिरासत में ले लिया और कल्याणपुरी थाने ले गई।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूमि विभाग के अधिकारियों का दस्ता पहले कल्याणपुरी थाने पहुंचा और वहां से पुलिस बल लेकर खिचड़ीपुर फर्नीचर मार्केट पहुंचा। दस्ते के पहुंचने पर मार्केट में शोर मच गया कि दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। इस बीच पुलिस बल ने मार्केट के एक चौक से दूसरे चौक के बीच बैरिकेडिंग करते हुए बाइक और वाहन खड़े कर वाहनों का आवागमन रोक दिया। इस दौरान सड़क पर खड़े रेहड़ी-पटरी वाले वहां से अपना-अपना सामान लेकर चले गए। करीब 11 बजे डीडीए का दस्ता अधिवक्ता रवि नागर की संपत्ति के सामने जाकर रुका और वहां बुलडोजर चलवा दिया। दोपहर तक कार्रवाई करते हुए डीडीए ने करीब 600 गज में बने दुकान और मकान को ढहा दिया, जबकि ऊपरी मंजिल पर डीडीए के कर्मचारी हथौड़ों से मकान को तोड़ रहे थे। जब डीडीए अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा था तो इसकी जानकारी मिलने पर आप विधायक कुलदीप अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए मार्केट में पहुंच गए। दूसरी तरफ से भाजपा समर्थक आ गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विधायक को हिरासत में लेकर कल्याणपुरी थाने ले जाया गया है।

the pioneer

NEW DELHI | THURSDAY | MAY 19, 2022

DDA issues provisional notice for Consortium formation

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) has issued provisional notice for the formation of a Consortium for three sectors, sectors 10-A in Zone N and sectors 2, and 3 in Zone P-II, in the national capital under Land Policy 2018.

According to a senior DDA official, the validity of the notice shall be 90 days from the date of issuance.

The authority is also issuing a public notice to all land owners for filing any objections with respect to the list of land owners who have pooled their land under policy. If there are any objections on the list, the land owners may express their representations on portal to Commissioner (Land Pooling) within 45 days of the issue of this Public Notice. "The list of land owners who have come forward under the policy can be viewed on DDA's Website under Land Pooling Notices Tab," he informed.

"The Sectors are Sector 10-A in Zone N and Sector 2, 3 in Zone P-II. Provisional notice for consortium formation is issued with a condition that remaining un-pooled land owners have to come together and form contiguous land as a single entity with an implementation plan, for which they will get 90 days period.

MORPHOLOGICAL RIDGE PROJECTS

Review curbs, DDA asks Chief Secretary

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday wrote a letter to the Delhi Chief Secretary, urging him to review restrictions imposed by the Forest Department on developmental work in the "morphological ridge" area.

According to documents, the DDA has challenged the Forest Department's decision to impose curbs on several projects in the morphological ridge area, saying the term "morphological ridge" neither has "legal sanctity nor any scientific background to it".

"It is pertinent to mention that the issues related to such an morphological ridge have resulted in major economic implications for the DDA and service providing agencies and hampered developmental activities within the area," the letter said.

The letter further stated, "The DDA has already spent crores (of rupees) on the acquisition of land parcels which have subsequently been allotted to various Government agencies such as National Investigation Agency, Central Bureau of Investigation, Delhi ,Police, IGNOU, Urban Institute of India, Indian Institute of Foreign Trade and South Asian University."

A senior Forest Department official said certain areas in the Capital have been classified as "morphological ridge" based on the data provided by the Geological Survey of India.

"We have briefed the Chief Secretary about it... Soon, we'll put up all the documents on our website. If the DDA wants to challenge it they should approach the Supreme Court," he said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | THURSDAY, 19 MAY, 2022

-DATED-

Land pooling: DDA issues notice to set up consortium

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) has issued a notice to set up a consortium for three sectors under the Land Policy 2018.

The validity of the notice will be 90 days from the date of issue.

The DDA has also issued a public notice to all the land owners to register objections with reference to their list of pooled lands under the policy.

The land owners can submit their objections to the commissioner (land pooling) on the portal within 45 days. The list of landowners under the policy can be found on the Land Pooling Notice tab — www.dda.gov.in/notices on the DDA's website.

According to the approved Sector Delineation Plan, sector 2 in Zone P-II located along the Yamuna river in north Delhi is one of the sectors for which provisional notice has been issued.

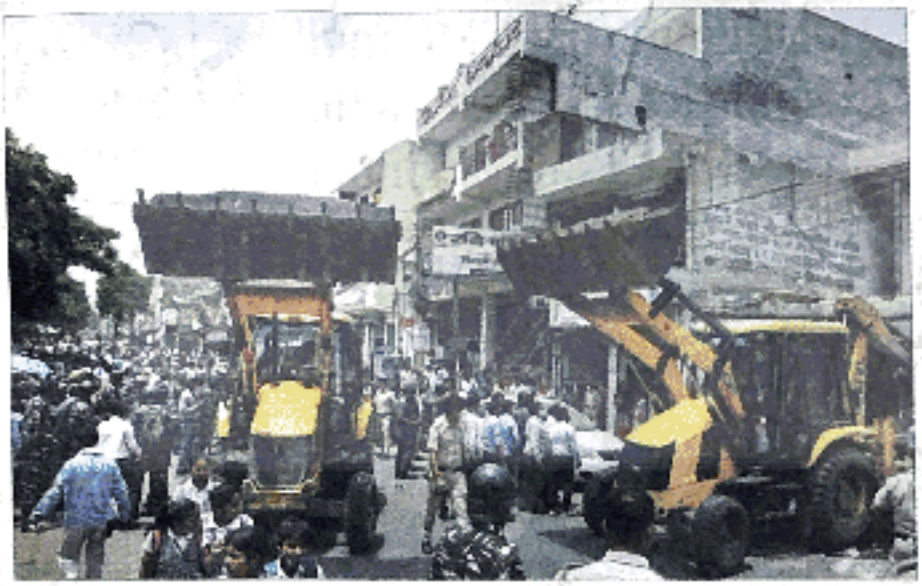

The two other sectors are — Sector 3, adjacent to Sector 2 along the Yamuna in North Delhi in Zone P-II and Sector 10-A in Zone N which is near Bawana area of North West Delhi. MPOST

Aam Aadmi Party (AAP) MLA Kuldeep Kumar was detained on Wednesday for allegedly obstructing a demolition drive being carried out by the Delhi Development Authority (DDA), police said. The AAP MLA from Kondli (East) reached the spot in Kalyanpuri's Khichripur area when the demolition started to protest against the drive, they said. Bulldozers arrived at Khichripur on Wednesday to remove illegal structures in the locality

THE HINDU
SDAY, MAY 19, 2022

Land pooling: DDA issues notices to form consortiums

The provisional notices have been issued to landowners

STAFF REPORTER
NEW DELHI

In an attempt to revive the dying interest in its land pooling policy, the Delhi Development Authority (DDA) has issued conditional notices for the formation of consortiums in three high-priority sectors falling under zones N and P-II, where 70% participation of landowners has been achieved.

Once a consortium in a particular sector comes into being, it becomes the consortium's responsibility to convince the other landowners of that particular sector to pool in their land parcels, so that the minimum threshold of 70% contiguous land is reached and the sector becomes eligible for development works.

According to the press note issued by the agency, the notices have been issued to landowners – who have expressed interest in the policy – on the condition that they will ensure contiguity in land within 90 days.

> **In case, constituent landowners fail to form consortium, such notice shall be deemed cancelled**
> DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

"In case constituent landowners fail to form the consortium or are unable to achieve 70% contiguous pooled land in that particular sector, such notice shall be deemed cancelled [or] withdrawn automatically," read a press note issued by the DDA on Wednesday.

The three sectors for which the notices have been issued are – Sector 10-A (in Zone-N), and Sectors 2 and 3 (in Zone-P-II). While each of these sectors has achieved the minimum participation rate of 70%, the pooled-in land parcels are not contiguous.

The issuing of conditional notices to form consortiums of landowners was one of the measures announced by the Union Minister for Housing and Urban Affairs, Hardeep Singh Puri, in March to expedite the execution of the land pooling policy.

The press note added that in Sector-2, located along the Yamuna river in north Delhi, spread across 140 hectares of developable land, landowners having a total of 121 hectares expressed their interest in the policy.

Since the DDA opened its window for land pooling in February 2019, a total area of 7,275.45 hectares from a total of 6,922 applications has been registered.

अमर उजाला

कंसोर्टियम गठन के लिए अंतिम नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने भूमि नीति-2018 के तहत दिल्ली के तीन क्षेत्रों के लिए कंसोर्टियम के गठन के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस की वैधता जारी होने की तिथि से 90 दिन होगी। भू-स्वामी 45 दिनों के भीतर पोर्टल पर आयुक्त (लैंड पूलिंग) को अपनी कोई भी आपत्ति दे सकते हैं। डीडीए के अनुसार कंसोर्टियम के गठन के लिए अंतिम नोटिस इस शर्त के साथ जारी किया गया है कि शेष गैर-पूल भूमि मालिकों को एक साथ आना होगा और एक कार्यान्वयन योजना के साथ एक इकाई के रूप में आसन्न भूमि का निर्माण करना होगा। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER पंजाब केसरी ---------------------------- DATED 19/05/2022

कार्रवाई... निगमों को देना होगा एक अप्रैल से लेकर अब तक की कार्रवाई का सारा डाटा

दिल्ली सरकार ने बुलडोजर मामले पर नगर निगमों से मांगी रिपोर्ट

- भाजपा के इस अभियान का आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध जारी रहेगा
- संपत्ति को नोटिस कब जारी किया, अतिक्रमण कब हुआ, कब तोड़ा का ब्योरा पेश करने को कहा

खिचड़ीपुर इलाके में अवैध निर्माण को तोड़ता बुलडोजर। -फोटो: अमित श्रीवास्तव

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): बुलडोजर मुद्दे को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार रोजाना आक्रामक रुख अख्तियार करती जा रही है। इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए केजरीवाल सरकार ने भाजपा शासित नगर निगमों से एक अप्रैल से राष्ट्रीय राजधानी में उनके द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सरकार ने पत्र भेजकर तीनों नगर निगमों से कहा कि अतिक्रमण रोधी अभियान का एक अप्रैल से अभी तक का सारा डाटा दें। अधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, मदनपुर खादर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, रोहिणी, गोकुलपुरी, लोधी कालोनी, जनकपुरी सहित विभिन्न हिस्सों में तीनों नगर निगमों ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया हुआ है। इसे लेकर जनता परेशान है इन परेशान लोगों के साथ उनकी सरकार खड़ी है। भाजपा के इस अभियान का आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध जारी रहेगा। सूत्रों की मानें तो सरकार ने तीनों निगमों से अब तक जितनी भी संपत्ति तोड़ी है उनसे संबंधित सभी जानकारी मांगी है।

उसमें संपत्ति को नोटिस कब जारी किया गया, वह अतिक्रमण कब हुआ, कब तोड़ा गया का ब्योरा पेश करने को कहा है। अब तक तीनों निगमों ने उनके इलाके में कितना अतिक्रमण हटाया है उक्त सभी की रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजने के लिए कहा गया है। इससे पहले इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपने आवास पर आप के सभी विधायकों के साथ बैठक की थी और उनसे भाजपा शासित नगर निगमों के अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने को कहा था। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में अतिक्रमण अभियान 63 लाख लोगों को बेघर कर देगा और यह स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी तबाही होगी। साथ ही आप प्रमुख ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया था। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली का विकास योजनाबद्ध शहर के तौर पर नहीं किया गया है। दिल्ली के 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से को अवैध तथा अतिक्रमित कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या आप 80 प्रतिशत दिल्ली को तबाह कर देंगे?

डीडीए की भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई

बुधवार को ऐसी ही एक कार्रवाई के संबंध में त्रिलोकपुरी से विधायक कुलदीप कुमार व कुछ लोगों के विरोध के बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मगर पुलिस की तैनाती के चलते यहां कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ। हालांकि उक्त कार्रवाई निगम की ओर से नहीं बल्कि डीडीए की ओर से की गई थी। डीडीए ने इस कार्रवाई के विषय में कोर्ट ऑर्डर का हवाला दिया। खिचड़ीपुर गांव में डीडीए के इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अवैध निर्माण और कब्जों को ध्वस्त किया गया था।

डीडीए ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने भूमि नीति 2018 के तहत 3 सेक्टरों हेतु कंसोर्टियम गठित करने के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस की वैधता जारी होने की तिथि से 90 दिन होगी। डीडीए सभी भू स्वामियों को एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी कर रहा है ताकि भू-स्वामी नीति के तहत अपनी पूल्ड भूमि की सूची के संदर्भ में कोई आपत्ति दर्ज कर सके। यदि सूची में कोई आपत्ति हो तो भू-स्वामी इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 45 दिनों के भीतर पोर्टल पर आयुक्त (लैंड पूलिंग) को अपना आवेदन दे सकते हैं। नीति के तहत आगे आने वाले भू स्वामियों की सूची डीडीए की वेबसाइट पर लैंड पूलिंग नोटिस टैब अर्थात https://www.dda.gov.in/notices पर देखी जा सकती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS अमर उजाला DATED 11|05|2022

खिचड़ीपुर में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया।

अब डीडीए ने खिचड़ीपुर में चलाया बुलडोजर

स्थानीय निवासियों और आप विधायक ने किया हंगामा, हिरासत में विधायक

अमर उजाला ब्यूरो

[illegible]

डीडीए ने कहा, उच्च न्यायालय के निर्देश पर हटाया अतिक्रमण

[illegible]

पार्टी और विधायक ने ट्वीट कर साधा निशाना

[illegible]

दिल्ली सरकार ने तीनों निगम से मांगी रिपोर्ट

[illegible]

रिज क्षेत्र में विकास कार्यों पर प्रतिबंध की हो समीक्षा

[illegible]

उपराज्यपाल अनिल बैजल का इस्तीफा

प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र को लेकर खींचतान भरा रहा कार्यकाल

अमर उजाला ब्यूरो

[illegible]

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था विवाद

[illegible]

गृह सचिव समेत कई अहम पदों पर रहे बैजल

[illegible]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | MAY 19, 2022

NAME ----DATED----

DDA launches demolition drive in Kalyanpuri; AAP MLA detained

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday conducted a demolition drive in Kalyanpuri's Khichripur area, to remove illegal structures from public land, during which almost two bigha land was cleared. The Aam Aadmi Party (AAP) MLA Kuldeep Kumar was detained for allegedly obstructing the drive.

According to a senior police officer, the AAP MLA from Kondli (East) reached the spot at the time of the demolition and started to protest against the drive.

A senior DDA official said the encroachment removal exercise on DDA land of Village Khichripur was scheduled for execution.

"A court case titled Hari Ram Vs DDA is pending in the High Court. The encroachers have filed multiple applications seeking a stay order against the demolition of the encroachment, but the High Court has rejected the stay application of the encroachers. In a recent order dated 06/05/2022, the court questioned DDA for not taking possession of the land since 2019 and directed the authority to take over the possession of land forthwith," he informed.

"The demolition programme on the land under reference was earlier scheduled thrice, but could not be carried out due to the non-availability of sufficient police force. The demolition programme on the land under reference was again fixed for today in accordance with the above facts, which has been only partially carried out due to protests by the locals, around two *bigha* land has been cleared," he added.

Police take away AAP MLA Kuldeep Kumar during an anti-encroachment drive by the DDA at Khichripur village, in New Delhi on Wednesday PTI

Farmhouses, shops demolished in Bhondsi, Sohna in Gurugram

Gurugram: A team of the District Town and Country Planning (DTCP) on Wednesday carried out a demolition drive in the villages of Bhondsi and Sohna in which commercial farmhouses, shops and under-construction structures were demolished. RS Bhath, District Town Planner (Enforcement), said that the colonies were being developed in violation of rules, without necessary permissions from the competent authority.

"We conducted the drive after a complaint was received on the CM's window. We will conduct such drives in future to build people's trust in the CM's window. The department will soon recommend filing of FIRs against those who were involved in developing illegal colonies. Notices were also issued to plot owners earlier as well," Bhath said.

During the drive, six unauthorised colonies in approximately 35 acres located in the area were demolished with the help of three earthmovers. 100 policemen were present at the spot to deal with any untoward incident.

Three earthmoving machines were pressed into service to demolish illegal constructions.

"All six colonies were in initial stages and demarcation of plots by way of DPCs, boundary walls was being done. Commercial farm houses spread in over 2.5 acres and under construction shops and road network was demolished," Bhath added.